



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 30 मार्च, 2026

चैत्र 9, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 42/छ:-पु0-9-2026-2018024

लखनऊ, 30 मार्च, 2026

अधिसूचना

प0आ0-256

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 19 के अधीन सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति को निम्नलिखित रीति में अधिसूचित करते हैं:-

1-राज्य सरकार, प्रत्येक जिला में, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन संचालन हेतु एक या अधिक सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्त करेगी।

2-केंद्रीय सरकार, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में किसी वाद अथवा वादों के किसी वर्ग के संचालन के प्रयोजन हेतु एक या अधिक सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्त कर सकती है।

3-उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ किसी विशेष वाद के प्रयोजन हेतु कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध न हो, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार को चौदह दिनों का नोटिस देने के पश्चात, किसी अन्य व्यक्ति को उस वाद के लिए प्रभारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकता है:

परंतु यह कि कोई भी पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह,—

- (क) उस अपराध की जाँच में किसी भी रूप में सम्मिलित रहा हो, जिसके सम्बंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है; अथवा
- (ख) निरीक्षक से नीचे की रैंक का हो।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 42/VI-Pu-9-2026-2018024, dated March 30, 2026:

No. 42/VI-Pu-9-2026-2018024

Dated Lucknow, March 30, 2026

IN exercise of the powers conferred by Section 19 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), the Governor of Uttar Pradesh, is pleased to notify under Section 19 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act no. 46 of 2023) the appointment of Assistant Public Prosecutors in the following manner:—

1. The State Government shall appoint one or more Assistant Public Prosecutors in every district for conducting prosecutions in the Courts of Magistrates.
2. The Central Government may appoint one or more Assistant Public Prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in the Courts of Magistrates.
3. Without prejudice to provisions contained in sub-sections (1) and (2), where no Assistant Public Prosecutor is available for the purposes of any particular case, the District Magistrate may appoint any other person to be the Assistant Public Prosecutor in charge of that case after giving notice of fourteen days to the State Government:

Provided that no police officer shall be eligible to be appointed as an Assistant Public Prosecutor, if he-

(a) has taken any part in the investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted; or

(b) is below the rank of Inspector.

By order,
SANJAY PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 120 राजपत्र—2026—(248)—599+50=649 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।